न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2203–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–05–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 98/2010–11/स्वमेव निगरानी ।

विजय सिंह पुत्र सोनी
निवासी ग्राम वरोआ नूरावाद
तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदक
श्री एच.के.अग्रवाल पेनल अभिभाषक,–अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 21–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम वरोआ तहसील नूरावाद तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1098/1 मिन रकवा 0.533 हैक्टर में से रकवा 0.323 हैक्टर, सर्वे कमांक 1098/1 मिन रकवा 0.105 हैक्टर, सर्वे नम्बर 1099/2 रकवा 0.460 हैक्टर एवं सर्वे कमांक 1100 रकवा 0.502 हैक्टर में से रकवा 0.314 हैक्टर के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र

के आधार पर प्रकरण कमांक 28/1999–2000/अ–19 दर्ज किया जाकर दिनांक 19–03–2001 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में किया गया, तत्पश्चात् नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में अवैधानिक पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण कमांक 18/2008–09/स्वमेव निगरानी में दर्ज कर दिनांक 21–5–12 को आदेश पारित किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील/ निगरानी का प्रावधान नहीं है । कलेक्टर द्वारा 11 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी में कार्यवाही की गई है जो अवधि बाह्य होकर निरस्ती योग्य है । तर्क में यह भी आधार लिया कि कलेक्टर के समक्ष आवेदक को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है । कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिकारिता रहित आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान पेनल अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाकर त्रुटिपूर्ण पटटे को निरस्त किया है, जो सही है । अतः कलेक्टर का आदेश वैधानिक होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया है क्योंकि घोषणा में प्रकाशन के दिनांक का उल्लेख नहीं है कि घोषणा का प्रकाशन किस दिनांक को किया गया । इसके अतिरिक्त शासकीय योजना के

अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का बंटन भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को किया जाना चाहिये था, जबकि तहसीलदार कब्जे के आधार पर आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का बन्टन किया गया है, जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध होकर अवैधानिक कार्यवाही है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत अपील/निगरानी का प्रावधान नहीं होने से कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है क्योंकि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना परिलक्षित नहीं होता है। उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि कलेक्टर द्वारा 11 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है क्योंकि समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर पूर्णतः अवैधानिक आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और ऐसे आदेश में समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 21–5–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर